

**वरिष्ठ**

**पुलिस**

**अधीक्षक**

**जनपद**

**आजमगढ़**



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 262/2025

**प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़**

दिनांक-24.07.2025

**हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 24.07.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

**01.थाना – सरायमीर: साइबर फ्राड के 30,000 रुपये वापस कराया गया ।**

**पूर्व की घटना:-**

दिनांक 09.09.2024 को आवेदक दिनेश कुमार विश्वकर्मा पुत्र लालबहादुर निवासी ग्राम छित्तुपट्टी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को फोन द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसके लड़का मुसीबत में फंसा है व उसकी जान जा सकती है। विपक्षी के मांग के अनुसार आवेदक द्वारा खुद अपने खाते व अपने भतीजे आशीष विश्वकर्मा के खाते से कुल 80,000 रुपये भिन्न-भिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिये गये। आवेदक को साइबर फ्राड की जानकारी होने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 512/24 धारा 66D IT ACT व 351(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था तथा साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत सं0 33109240XXXXX दर्ज करायी गयी थी।

उपरोक्त साइबर क्राइम पोर्टल के शिकायत से 30,000 ₹0 होल्ड हो गये थे। उक्त होल्ड राशि के बावत साइबर हेल्पडेस्क कम्प्यूटर ऑपरेटर सौरभ थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा मा0 न्यायालय से कोर्ट आर्डर बनवाकर विधिक कार्यवाही कराते हुये द्वारा आज दिनांक 24.07.2025 को 30,000 रुपये आवेदक के भतीजे आशीष विश्वकर्मा पुत्र अवधेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम छित्तुपट्टी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के खाते में वापस करा दिया गया।

**पुलिस टीम:-**

1.कम्प्यूटर ऑपरेटर सौरभ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।



**02.थाना सरायमीर: अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।**

**पूर्व की घटना-**

दिनांक 06.06.2025 को थाना सरायमीर अन्तर्गत महिला द्वारा खुद की नाबालिक लड़की को विपक्षी द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 250/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम सत्यम उर्फ पटेलु पुत्र पप्पू सा0 कमालपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। जिसमे नामित अभियुक्त सत्यम उर्फ पटेलु पुत्र पप्पू सा0 कमालपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 24.07.2025 को गिरफ्तार किया गया।

#### गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 24.07.2025 को वउ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सत्यम उर्फ पटेलु निवासी ग्राम कमालपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को करछा मोड़ समय 10.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त –

1. सत्यम उर्फ पटेलु निवासी ग्राम कमालपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।  
बरादमगी – नाबालिक अपहृता की बरादमगी की गयी।

#### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 250/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. वउ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. म0का0 संजू सरोज थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।



### 03. थाना सरायमीर: चोरी के सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

#### पूर्व की घटना

दिनांक 23.07.2025 को आवेदक अब्दुल कलीम पुत्र अबसारुल हक निवासी ग्राम डेमरी मखदुमपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 21.07.2025 को को लगभग चार बजे शाम बस्ती नहर के पास अपनी वेल्डिंग की दुकान बन्द करके घर चला गया था अगले दिन आवेदक अपनी दुकान खोलने के लिये आया तो देखा कि दरवाजा का ताला टूटा हुआ है और अंदर जाकर देखा तो वहाँ से किसी ने वेल्डिंग मशीन, ग्रेडर तथा कटर मशीन आदि कुछ सामान चोरी हो गयी है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 344/25 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है। दिनांक 24.07.2025 को समय 02.05 बजे प्रकाश में आये अभियुक्त भोनू प्रजापति पुत्र राम आसरे प्रजापति सा0 सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को मय चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया।

#### गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 24.07.2025 को उ0नि0 बासुदेव साहनी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त भोनू प्रजापति पुत्र राम आसरे प्रजापति सा0 सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को एक प्लास्टिक की बोरी में 02 अदद ग्राइण्डर मशीन, एक ब्लेड व 250/- रुपया के साथ चनवा ओहदपुर थाना सरायमीर के पास से करीब 02.05 बजे पुलिस हिरासत में लेकर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त –

1- भोनू प्रजापति पुत्र राम आसरे प्रजापति सा0 सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

#### वांछित अभियुक्त –

1. भीम यादव पुत्र स्व0 खरपत यादव सा0 सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर आजमगढ़।

बरादमगी – 02 अदद ग्राइण्डर व 02 अदद ब्लेड व नगद 250/- रुपया

#### पंजीकृत अभियोग-

2. मु0अ0सं0 344/25 धारा 305/331(4)/317(2) BNS थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

#### आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 72/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 99/2024 धारा 308/323 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 344/25 धारा 305/331(4)/317(2) BNS थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 बासुदेव साहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

2. उ0नि0 धीरज कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

3. का0 सौरभ पाण्डेय थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

4. का0 इल्शेस यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।



#### **04. थाना कप्तानगंज: कम्पोजिट विद्यालय से चोरी के सामान के साथ 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।**

##### **पूर्व की घटना/इतिहास-**

दिनांक 23.07.2025 को मुकदमा वादी सत्यपाल सिंह पुत्र जयबहादुर सिंह ग्राम भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ जो वर्तमान में कम्पोजिट वि० ककरही, शि० क्षेत्र० कोयलसा आजमगढ़ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 02.07.2025 की रात्रि को उनके विद्यालय से चार पंखा व एक पानी मोटर चोरी हो गया व आस-पास लोगों से पता चला की उसी रात को प्रा०वि० देऊरपुर सराय शि० क्षेत्र० कोयलसा में भी एक R.O मशीन चोरी हो गया है उन लोगों द्वारा बहुत खोज बिन की गयी पर नहीं मिला ले गया के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला प्रा०पत्र के आधार पर पर मु०अ०सं० 216/2025 धारा 305 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत है। विवेचना उ०नि० प्रिन्स मिश्रा द्वारा की जा रही है।

##### **गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-**

दिनांक 24.07.2025 को उ० नि० प्रिंस मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 02 बाल अपचारी को जफरामऊ जंगल के पास से चोरी गये सामान चोरी का एक अदद आरो मशीन व एक अदद सीलिंग पंखा के साथ समय करीब 23.55 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

#### **05. थाना रौनापार: साइबर फ्राड का 38187.27/- रूपया वापस कराया गया**

##### **घटना का विवरण-**

आवेदक आदित्य नरायन राय पुत्र कमलनरायन रामय निवासी जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 18.01.25 को 64000/- रुपये का साइबर धोखाधड़ी हुआ। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर दिनांक 20.01.25 को शिकायत नं० 231012500XXXXXX दर्ज कराया गया।

##### **बरामदगी का विवरण:-**

आवेदक आदित्य नरायन राय पुत्र कमलनरायन रामय निवासी जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत संख्या 231012500XXXX दर्ज कराया गया कि उनके साथ कुल 64000/- रुपये (चौसठ हजार रुपये) का साइबर फ्राड हुआ है। उक्त शिकायती प्रार्थना पर थाना रौनापार के साइबर टीम के का०मु० रत्नेश सिंह द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के 64000/- रुपये में से 38187.27 रुपये साइबर फ्राडस्टर के कुल 12 खातों में होल्ड कराया गया पैसा होल्ड होने के उपरान्त विधि कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय से अनुरोध कर उक्त पैसे को वापस करने के सम्बन्ध में आदेश प्राप्त किया गया। बाद प्राप्त होने आदेश सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर आवेदक के कुल 38187.27/- रुपये आवेदिका के खाते में वापस कराया गया।

##### **पुलिस टीम का विवरण:-**

1. साइबर टीम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़



## **06. थाना कप्तानगंज: साइबर फ्राड का 9500 रूपया वापस कराया गया ।**

### **घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक- 10.05.25 को आवेदक जितेन्द्र यादव पुत्र स्व. रामफेर यादव निवासी ग्राम चेवता थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर के आवेदक के भाई जो विदेश में रहता है का पासपोर्ट व वीजा फर्जी होना बताया तथा वीजा रद्द होने पर भाई को जेल हो जाने का डर दिखाकर कई बार में पैसा ट्रान्सफर करा लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा थाना कप्तानगंज पर साइबर हेल्प डेस्क में शिकायत दर्ज करायी गयी है थाने के साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर हेल्पलाइन नं0 1930/https://cybercrime.gov.in/पर शिकायत पंजीकृत करायी गयी जिसका Ack No. 23105250XXXX है साइबर हेल्प डेस्क कप्तानगंज द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से आवेदक का 9500 रू0 होल्ड करा दिया गया था। आवेदक का फ्राड हुआ पैसों में से 9500 रूपये वापस करा दिया गया है।

### **रूपया वापसी का विवरण:-**

साइबर अपराध के रोकथाम के दृष्टिगत थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ पाण्डेय के निर्देशन में थाना कप्तानगंज के साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी अखिल श्रीवास्तव व महिला आरक्षी अंशिका श्रीवास्तव द्वारा आवेदक जितेन्द्र यादव पुत्र स्व. रामफेर यादव निवासी ग्राम चेवता थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से आवेदक के खाते से स्थानान्तरित हुए रूपयों की जाँच करते हुए 9500 रूपये बन्धन बैंक के खाता संख्या 202000XXXXX बैंक खाते में होल्ड कराया गया तथा मा0 न्यायालय के आदेश से वापस आवेदक के बैंक खाते में वापस करा दिया गया। आवेदक द्वारा अपने रूपये पाकर पुलिस को धन्यवाद व्यक्त किया।

साइबर हेल्प डेस्क कप्तानगंज की तरफ से सभी से अपील किया गया कि किसी प्रकार का साइबर अपराध होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें:

सबसे पहले, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और घटना की जानकारी दें। इसके अलावा, आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि पासवर्ड और ओटीपी, किसी के साथ साझा न करें।  
संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अज्ञात व्यक्ति से मिले ईमेल या मैसेज का जवाब दें।  
ऑनलाइन लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और सुरक्षित वेबसाइटों का उपयोग करें।

अज्ञान नम्बरो से आने वाले काल पर सावधानी पूर्वक निर्णय लें।

### **पैसा वापस कराने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

- 1-थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे थाना कप्तानगंज, आजमगढ़।
- 2-उ0नि0 अमन तिवारी (साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी) थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
- 3-क0आ0 ग्रेड बी अखिल श्रीवास्तव (साइबर हेल्प डेस्क) थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
- 4-महिला आरक्षी अंशिका श्रीवास्तव (साइबर हेल्प डेस्क) थाना कप्तानगंज आजमगढ़।



## 07. थाना-तहबरपुर: गोवध में वांछित 01 शांति अभियुक्त गिरफ्तार

### पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 04.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह मय पुलिस बल के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किमी 228.5 पर खड़ी एक 14 टायर ट्रक नं0 UP51AT3505 जिसमें कोई व्यक्ति नहीं थे में 25 राशि गोवंश जिसमें 22 राशि मृत 3 राशि जिन्दा बरामद किया गया था, उक्त ट्रक में लदे गाय व बैल को बध हेतु बिहार ले जा रहे थे, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 124/2025, धारा 30प्र गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 325 भा0न्या0सं0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह को प्राप्त हुई। विवेचना से अभियुक्तगण बनाम 1. आकाश मिश्रा उर्फ विशाल पुत्री नरेन्द्र कुमार मिश्र निवासी ग्राम फूलपुर हारिपुर थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकर नगर 2. बुद्धराज पासवान पुत्र राजाराम पासवान निवासी ग्राम नऊवाबाग भड़हरा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर 3. बरकत पुत्र गुलजारी निवासी ग्राम लोरपुर ताजन थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर 4. नरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र भिष्म मिश्रा ग्राम फूलपुर हारिपुर थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकर नगर का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तगण 1. आकाश मिश्रा उर्फ विशाल पुत्री नरेन्द्र कुमार मिश्र निवासी ग्राम फूलपुर हारिपुर थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकर नगर 2. नरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र भिष्म मिश्रा ग्राम फूलपुर हारिपुर थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकर नगर जो पूर्व में जिला कारागार आजमगढ़ भेजा जा चुका है। विवेचक व0उ0नि0 संजय कुमार के गैर जनपद स्थानान्तरण पर चले जाने के कारण मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 लोकेशमणि त्रिपाठी को सुपुर्द हुई।

### गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

दिनांक- 23.07.2025 को उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बुद्धराज पासवान पुत्र राजाराम पासवान निवासी ग्राम नऊवाबाग भड़हरा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर को बसही जरमजेपुर अण्डर पास पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया अभियुक्त के कब्जे से एक अदद चाकू (बड़ा), एक अदद कीपैड मोबाईल व 370 रूपया नकद बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त को धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 325 भा0न्या0सं0 व जूर्म धारा 4/25 आयुध अधिनियम का बोध कराते हुए समय 14.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. बुद्धराज पासवान पुत्र राजाराम पासवान निवासी ग्राम नऊवाबाग भड़हरा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर  
पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 124/2025, धारा 30प्र गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 325 भा0न्या0सं0 थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 168/2025 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

### आपराधिक इतिहास:-

1 मु0अ0सं0 329/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अलीनगर चन्दौली

2 मु0अ0सं0 001/2018 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम मईल देवरिया

3 मु0अ0सं0 003/2020 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम मईल देवरिया

4. मु0अ0सं0 112/2018 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम मईल देवरिया

5 मु0अ0सं0 119/2018 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट मईल देवरिया

6 मु0अ0सं0 110/2019 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम रानीगंज प्रतापगढ़

7 मु0अ0सं0 110/2022 धारा 3,2 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट कोतवाली फतेहपुर

8 मु0अ0सं0 153/2021 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम कोतवाली फतेहपुर

9 मु0अ0सं0 307/2015 धारा 429 भा0द0वि0 हुसैनगंज फतेहपुर

10. मु0अ0सं0 238/2018 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम बबेरू बांदा

11 मु0अ0सं0 345/2021 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम जगतपुर रायबरेली

12 मु0अ0सं0 136/2012 धारा 279,307,427 भा0द0वि0 जहानाबाद फतेहपुर

13 मु0अ0सं0 137/2012 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम जहानाबाद फतेहपुर

14 मु0अ0सं0 036/2025 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम गोसाईगंज सुल्तानपुर

### बरामदगी का विवरण:-

1- एक अदद चाकू (बड़ा), एक अदद कीपैड मोबाईल व 370 रूपया नकद बरामद

### गिरफ्तारी करने वाली टीम

1 उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी मय हमराह का0 ताहिर अली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़



## **08. थाना मुबारकपुर: हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।**

### **पूर्व की घटना-**

अवगत कराना है कि दिनांक 19.07.2025 को वादी मुकदमा अब्दुलसमद पुत्र हाजी मु0 जमीर निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 18.07.2025 को क्रिकेट खेलने की बात के विवाद को लेकर वादी मुकदमा के लड़के अजीमुरहमान को विपक्षीगण 1) तारिकमहमूद (2) वामिक महमूद (3) अताउरहमान पुत्र हाजी इरशाद अहमद (4) महमूदलहसन पुत्र हाजी इरशाद अहमद (5) ज्याउरहमान पुत्र हाजी इरशाद अहमद निवासी इब्राहीमपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ गाली गुप्ता देते हुए लाठी डण्डो एवं लात घूंसा एवं चाकू से मार कर घायल कर देना एवं जान से मारने की धमकी देने के समबन्ध मे दाखिल किये जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 315/2025 धारा 3(5),115(2),352,351(3),109 BNS पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

दिनांक 22.07.2025 को वांछित अभियुक्त 1. महमूदल हसन पुत्र स्व0 इरशाद अहमद, निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 51 वर्ष 2. अताउरहमान पुत्र स्व0 इरशाद अहमद, निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 35 वर्ष 3. वामिक महमूद पुत्र महमूदल हसन, निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

### **गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक 24.07.2025 को ग्राम इब्राहीमपुर मे क्रिकेट खेलने के बात को लेकर हुए मारपीट की घटना के वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय के निर्देशन मे व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह पुलिस बल के मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त तारिकमहमूद पुत्र महमूदल हसन निवासी ग्राम इब्राहीमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को मुखबिर खास की सूचना पर पिचरी गेट के पास से समय 11.35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद चाकू की बरामदगी अभियुक्त के निशांदाही पर ओझौली मोड़ के पास ताड़ के पेड़ के पास से बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1- तारिकमहमूद पुत्र महमूदल हसन निवासी ग्राम इब्राहीमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

### **पंजीकृत अभियोग-**

1-मु0अ0सं0 315/2025 धारा 3(5),115(2),352,351(3),109 BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

### **गिरफ्तारी करने वाली टीम -**

व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह का0 उमेश प्रजापति व का0 इजहार अंसार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ





**09. थाना मुबारकपुर: रूपये डबल करने के नाम पर हुए साइबर फ्रॉड के कुल 22,217/- रूपये पीड़ित के खाते में वापस कराया गया।**

**पूर्व की घटना:-**

दिनांक 13.01.2025 को आवेदक शाहिद अख्तर पुत्र जावेद आलम निवासी मोहल्ला पुरानी बस्ती थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा रूपये डबल किये जाने के नाम पर रूपये 22,217/- का हुए साइबर फ्राड के सम्बन्ध में 1930 टोल फ्री नम्बर के माध्यम से साइबर पोर्टल पर शिकायत सं0 33101250XXXXX दर्ज कराया गया था।

**रूपया वापसी का विवरण:-**

आवेदक श्री शाहिद अख्तर पुत्र जावेद आलम निवासी मोहल्ला पुरानी बस्ती थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के फ्राड हुए रूपये कुल 22,217/- के सम्बन्ध में एनसीआरपी पोर्टल व साइबर सेल की मदद से फ्रॉडस्टर खाता धारक कोटा देवेन्द्र पुत्र कोटा ज्ञानेश्वर निवासी पदमशालीपुरम मधुबन कालोनी काटेडन रंगरेडी तेलंगाना हैदराबाद के खाता सं0 999250506XXXXX IFSC CODE KARB00XXX में होल्ड कराया गया। तत्पश्चात् मा0 न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 22.07.2025 को आवेदक शाहिद अख्तर उपरोक्त के बैंक खाते में फ्राड हुआ कुल 22,217/- रूपया वापस कराया गया है।

**पुलिस टीम:-**

निरीक्षक अपराध श्री अखिलेश शुक्ल थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़  
उपनिरीक्षकश्री आशुतोष मौर्य थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़  
कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए मेहताब आलम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़  
महिला आरक्षी दीक्षा मिश्रा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़



## 10. थाना मुबारकपुर: गोवध के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

### पूर्व की घटना-

दिनांक 28.02.2025 को वादी मुकदमा उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह पुलिस बल के क्षेत्र गश्त के दौरान पीकप में क्रूरता पूर्वक 03 राशि बैल व 01 राशि प्रतिबंधित पशु को वध करने हेतु ले जा रहे थे पुलिस को देखकर भागने लगे पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो पिकप अनियंत्रित होकर पलट गयी एवं पिकअप चालक तथा उसके साथ बैठा व्यक्ति मौका पाकर भाग गया था जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 91/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 धीरेन्द्र शुक्ल द्वारा की जा रही है। दौरान विवेचना अभियुक्त 1. अब्दुल सलाम पुत्र स्व0 मो0 मुस्लिम निवासी ग्राम रानीमऊ थाना खेता सराय जनपद जौनपुर 2. सन्नी गौतम पुत्र लालता प्रसाद निवासी लवायन कन्हई का पुरा थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र 26 वर्ष का नाम प्रकाश में आया है।

### गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 23.07.2025 को उ0नि0 धीरेन्द्र नरायन शुक्ल मय हमराह पुलिस बल के वांछित अभियुक्त सन्नी गौतम पुत्र लालता प्रसाद निवासी लवायन कन्हई का पुरा थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र 26 वर्ष के घर ग्राम लवायन कन्हई का पुरा में दबिश दी गयी तो अभियुक्त अपने घर पर ही मौजूद मिला नाम पता पूछकर अभियुक्त को समय करीब 19.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-सन्नी गौतम पुत्र लालता प्रसाद निवासी लवायन कन्हई का पुरा थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र 26 वर्ष

### पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 91/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1-उ0नि0 अनिल कुमार सिंह, का0 आलोक रंजन, का0मनीष यादवथाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

